

कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी चेहराकला ।

कार्यालय आदेश

जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के पत्रांक-5097 दिनांक 30.11.2016 के द्वारा अनुमोदनोपरांत शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 25(1) में निहित प्रावधान के आलोक में शिक्षक छात्र अनुपात में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षक इकाई के साथ शिक्षको का सामंजन करना है, के आलोक में सचिव शिक्षा विभाग विहार पटना के पत्रांक-1123 दिनांक-07.10.2016 के कंडिका (iv) (ix) (x) (xi) एवं (xii) में अंकित निदेश के आलोक में नियोजन इकाई के अद्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त कर शिक्षक इकाई के साथ शिक्षक के समंजन हेतु दिनांक 13.12.16 को प्रखंड नियोजन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निम्न शिक्षको का सामंजन निम्न विद्यालयों में किया जाता है ^{दिनांक 13.12.16 को} ~~गोपनीय पत्रांक~~

क्रम	शिक्षक का नाम	विद्यालय का नाम	सामंजित विद्यालय का नाम	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री. मामून	UMJ बंगला	UMJ खुसूम कंठ उई	
2	श्री. इका हाकड	UMJ बंगला	UMJ कोराली	
3	श्री. कुमार	UMJ बंगला	UMJ विकास कंठ उई	
4	श्री. तपतीम काफ	UMJ मुस्तपार्थ उई	UMJ बाली हीजा	
5	श्री. जोशाह	UMJ कंदरलिन कुमरुई	UMJ खुसूम इका उई	

अतः उक्त आदेश के आलोक में अपने-अपने सामंजित विद्यालयों में पत्र प्राप्ति केदिनों के अन्दर अपना योगदान करना सुनिश्चित करेंगे ।



सदस्य सचिव

-सह-

प्रखंड विकास पदाधिकारी

प्रखंड नियोजन समिति,

चेहराकला

जापांक- 25/16

दिनांक- 13.12.16

प्रतिलिपि-जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली /प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेहराकला एवं संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं संबंधित शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।



सदस्य सचिव

-सह-

प्रखंड विकास पदाधिकारी

प्रखंड नियोजन समिति

चेहराकला